



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19082021-229139  
CG-DL-E-19082021-229139

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 347]  
No. 347]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 19, 2021/श्रावण 28, 1943  
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 19, 2021/SHRAVANA 28, 1943

भारतीय मानक ब्यूरो  
(उपभोक्ता मामले विभाग)  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2021

संदर्भ: HQ-PUB014/1/2020-PUB-BIS (204).—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है इसमें संलग्न अनुसूची में दिये गये मानकों में संशोधन किये गये हैं।

## अनुसूची

क्रम सं.	स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक	संशोधनों की संख्या एवं तिथि	संशोधनों की प्रतिस्थापन तिथि	तिथि जब तक मानक तीसरे स्तंभ में इंगित संशोधन के बिना भी लागू रहेगा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	आई एस 2052 : 2009 पशुओं के मिश्रित आहार – विशिष्टि (चौथा पुनरीक्षण)	संशोधन संख्या 5 अगस्त 2021	2 अगस्त 2021	1 फरवरी 2022

2	आई एस 11313 : 2007 द्रव शक्ति चालित छिड़काव यंत्र – विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	संशोधन संख्या 1 अगस्त 2021	2 अगस्त 2021	1 फरवरी 2022
---	---	-------------------------------	--------------	--------------

इन मानकों में संशोधनों की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9 बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली 110002, क्षेत्रीय कार्यालयों: कोलकाता, चंडीगढ़, चेन्नई, मुंबई तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बटूर, देहरादून, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, जमशेदपुर, लखनऊ, नागपुर, परवान, पटना, पुणे, रायपुर, राजकोट, कोच्चि, विशाखापटनम में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं। भारतीय मानकों में संशोधनों को <http://www.standardsbis.in> पर आनलाईन खरीदा/ डाउनलोड किया जा सकता है।

जे. राय चौधरी, वैज्ञानिक जी एवं उपमहानिदेशक (मानकीकरण-पी एवं एम)

[विज्ञापन-III/4/असा./211/2021-22]

## BUREAU OF INDIAN STANDARDS

(Department of Consumer Affairs)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 4th August, 2021

**Ref: HQ-PUB014/1/2020-PUB-BIS (204).**—In pursuance of Sub-rule (1) of Rule (15) of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that Amendments to Indian standards, particulars of which are given in schedule hereto annexed have been established.

### SCHEDULE

Sl No.	No., Year & Title of the Indian Standard	No. and Month/Year of the Amendment	Date of Establishment of the Amendment	Date till which the standard without the amendment as mentioned in column 3 shall remain in force
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	IS 2052 : 2009 Compounded Feeds for Cattle — Specification (Fourth Revision)	Amendment No. 5 Aug 2021	2 Aug 2021	1 Feb 2022
2	IS 11313 : 2007 Hydraulic Power Sprayers — Specification (First Revision)	Amendment No. 1 Aug 2021	2 Aug 2021	1 Feb 2022

Copies of these amendments to standards are available for sale with Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi – 110 002; Regional Offices: Kolkata, Chandigarh, Chennai, Mumbai and Branch Offices: Ahmedabad, Bengaluru, Bhopal, Bhubaneswar, Coimbatore, Dehradun, Faridabad, Ghaziabad, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Jammu, Jamshedpur, Lucknow, Nagpur, Parwanoo, Patna, Pune, Raipur, Rajkot, Kochi, Vishakhapatnam. Online purchase/downloading of amendments to Indian Standards can be made at <http://www.standardsbis.in>.

J. ROY CHOWDHURY, Scientist G & DDG (Standardization-P & M)

[ADVT.-III/4/Ext./211/2021-22]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2021

**संदर्भ: HQ-PUB014/1/2020-PUB-BIS (205).**—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है इसमें संलग्न अनुसूची में दिये गये मानकों में संशोधन किये गये हैं।